UPGK010021212026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–935 / 2026

राज पुत्र राजेश,
निवासी–ग्राम बरयाभीर (नकहा) थाना हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर।

.....आवेदक / अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी,

मु0 अपराध संख्या–94 / 2026
धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा–13(2) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधानों का निवारण) अध्यादेश 2024
थाना–सहजनवॉ, जनपद–गोरखपुर।

नियमित जमानत का यह प्रार्थना–पत्र आवेदक / अभियुक्त राज, जो मु0 अपराध संख्या–94 / 2026, धारा–319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा–13(2) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधानों का निवारण) अध्यादेश 2024 थाना–सहजनवॉ, जनपद–गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2– मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा चन्दन यादव, केन्द्र व्यवस्थापक, परीक्षा केन्द्र संख्या–21869 कैप्टन रामदास यादव बालिका इण्टर कालेज बनौली में परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी निभा रहा है। दिनांक 20.02.2026 को आयोजित परीक्षा सामाजिक विज्ञान के दौरान कक्ष संख्या–04 में एक विद्यार्थी फर्जी पहचान पत्र का उपयोग करते हुए परीक्षा देते हुए कक्ष निरीक्षक के द्वारा पकड़ा गया। वाह्य विद्यार्थी का सत्यापन करने पर फर्जी पाया गया। सही परीक्षार्थी का नाम जनार्दन, पिता का नाम विश्वनाथ, फर्जी परीक्षार्थी का नाम राज, पिता का नाम राजेश है।

3– आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक / अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसके द्वारा सह अभियुक्त के स्थान पर फर्जी पहचान पत्र का उपयोग कर परीक्षा देने का कोई कार्य नहीं किया गया है। सह अभियुक्त जनार्दन आवेदक का रिश्तेदार है। आवेदक के द्वारा कोई कूटरचना परीक्षा देने हेतु नहीं की गई है और न ही इस तरह का कोई साक्ष्य ही केस डायरी पर उपलब्ध है। आवेदक प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 21.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। इन समस्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदक / अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए अभियुक्त ने सही परीक्षार्थी / सह अभियुक्त के स्थान पर परीक्षा देने हेतु फर्जी कूटरचित आधार कार्ड का उपयोग किया गया जो जॉच के उपरान्त फर्जी पाये जाने पर अभियुक्त को मौके पर ही पकड़ कर पुलिस के हवाले कर कर दिया गया। आवेदक / अभियुक्त जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– मैंने आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6– केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त तथा सह अभियुक्त परीक्षा देने में सफल नहीं हो पाये तथा उनके द्वारा परीक्षा देने का प्रयत्न किया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 21.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सह अभियुक्त जनार्दन की जमानत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

7– आवेदक/अभियुक्त राज का उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को प्रकरण से सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन रू. 50,000/– का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवं निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाये–

क– आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बंध–पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा,
ख– आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा,
ग– आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई प्रत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,
घ– आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा,
ड.– आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय की वांछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

8– किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

9– इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये। इस आदेश की एक सॉफ्ट कापी आज ही ई–मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त को प्रेषित की जाये।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O.Code No. 1889

दिनांक–11.03.2026

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.11 15:48:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court